"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2012—ज्येष्ठ 4, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999) आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री अशोक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2000), संचालक, जनसंपर्क तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को केवल संचालक, जनसंपर्क के प्रभार से मुक्त करते हुये, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

श्री अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 328/187/अव./2012/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-4-2012 से 5-5-2012 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-4-2012 एवं 6-5-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 330/156/अव./2012/1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 16-4-2012 से 5-5-2012 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15 एवं 6-5-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुरबिया, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 332/182/अव./2012/1-8/स्था.—श्री अब्बास खान, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 16-4-2012 से 20-4-2012 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15, 21 एवं 22-4-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खान आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री खान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 334/196/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनांक 18-4-2012 से 28-4-2012 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-4-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुन्दानी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुन्दानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुन्दानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 336/168/अव./2012/1-8/स्था.—श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-4-2012 से 5-5-2012 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-4-2012 एवं 6-5-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सांकला आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सांकला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सांकला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्रमांक 376/180/अव./2012/1-8/स्था.—श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 30-4-2012 से 11-5-2012 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-4-2012, 12-5-2012 एवं 13-5-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-10/2005/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. समरेन्द्र सिंह (प्राध्यापक) राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना सेल, उच्च शिक्षा विभाग को पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक 392/246/अव./2012/1-8/स्था.—श्री विनोद वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 2-5-2012 से 11-5-2012 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12 एवं 13-5-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक 428/202/अव./2012/1-8/स्था.—श्री आर. के. स्वास्तिक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 23-4-2012 से 28-4-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22 एवं 29-4-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री स्वास्तिक आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री स्वास्तिक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वास्तिक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द **जभिये,** अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा श्री सुबोध कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के दिनांक 29-04-2012 से दिनांक 23-06-2012 तक प्रशिक्षण हेतु प्रवास पर रहने के कारण उक्त अवधि के लिए प्रबंध निदेशक, छ.ग. विद्युत वितरण कंपनी मर्या. का अतिरिक्त प्रभार श्री जी. एस. कलसी, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी को सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्रमांक 1002/एफ 21/01/2011/13/2/ऊ.वि.—यत: राज्य सरकार की यह राय है, कि राज्य की विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एस.ई.जेड.) नीति, 2010 के अधीन स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है.

2. अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, केन्द्रीय विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का क्र. 28) में अधिसूचित क्षेत्र में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति, 2010 के खण्ड 8 के उपबंध के अनुसार पात्र इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से विद्युत के विक्रय एवं उपभोग पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती है :—

(अ) छूट की पात्रता उन्हीं उद्यमी/विकासकर्ता/इकाई को होगी, जो उक्त अधिनियम के अधीन पात्रता रखते हैं तथा जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया गया हो.

(ब) राज्य सरकार की विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति, 2010 के अधीन अधिसूचित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख तथा उक्त केन्द्रीय अधिनियम की शर्तों के पालन की पुष्टि में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुशंसा व पात्रता प्रमाण पत्र सहित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

(स) आवेदन पर विचारोपरांत, मुख्य विद्युत निरीक्षक पात्र उद्यमी/विकासकर्ता/इकाई को विद्युत शुल्क में छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी करेगा.

(द) छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति, 2010 एवं नियमों के अधीन अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते पाये जाने पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्रता समाप्त समझी जायेगी तथा दी गई विद्युत शुल्क छूट की राशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 5 के अधीन भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जायेगी.

3. यह अधिसूचना 27 जनवरी, 2011 से प्रभावशील हुई समझी जायेगी तथा आगामी आदेश तक प्रवृत्त रहेगी.

4. इस अधिसूचना के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी भी समय इस अधिसूचना में कोई संशोधन कर सकती है एवं इस अधिसूचना के उपबंधों की विसंगतियों को दूर कर सकेगी एवं किसी स्पष्टीकरण के लिए निर्देश एवं दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी.

No. 1002/F 21/01/2011/13/2/E.D.—Whereas, the State Government is of the opinion that to promote the industrial units to be installed under the Special Economic Zone (S.E.Z.) Policy, 2010 in the State, it is necessary and expedient.

2. Now therefore, in exercise of powers conferred by Section 3-B of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949), the State Government, hereby, exempts the payment of electricity duty on sale and consumption of electricity from the date commercial production to eligible units as per provision of Clasue 8 of

SEZ Policy, 2010 in the area notified in Central Special Economic Zone Act, 2005 (No. 28 of 2005), subject to the following conditions :—

(a) Exemption shall be extended to such entrepreneur/developer/units who are eligible under said Act and to whom the eligibility certificate has been issued from Commerce and Industry Department.

(b) Industries set up in Special Economic Zone notified under SEZ Policy, 2010 of State Government, shall submit application to Chiel Electrical Inspector on confirmation of date of commercial production and on fulfilling the conditions of said Central Act with recommendation and eligibility certificate from Commerce & Industry Department.

(c) After due consideration of application, Chief Electrical Inspector shall issue electricity duty exemption certificate to the eligible entrepreneur/developer/unit.

(d) Eligibility for exemption from payment of electricity duty shall deemed to be cancelled on violation of conditions stipulated under the Chhattisgarh State Special Economic Zone Polity, 2010 and Rules and exempted electricity duty shall be recovered with interest accruing thereon, if any, as an arrears of land revenue under section 5 of the Electricity Duty Act, 1949.

3. This notification shall be deemed to have come into effect from 27th January, 2011 and shall remain in force till further order.

4. Notwithstanding anything contained in any other provision of this notification, the State Government, may at any time make any amendment in this notification and issue instructions and guidelines to facilitate the implementation of, remove anomalies in and provide clarifications to the provisions of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-6/2012/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना :—

(अ) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना—

(i) यह योजना "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना" कहलाएगी.

(ii) यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी.

(iii) यह योजना भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22(1) सहपठित छत्तीसगढ़ नियम, 2008 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2012 से लागू होगी.

(iv) यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय-पत्र धारी हैं.

(ब) परिभाषाएं— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(i) "अधिनियम" से आशय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है.

(ii) "बोर्ड" से आशय धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है.

(iii) "सचिव" से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है.

(iv) "दुर्घटना" से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते-जाते समय अथवा अन्य किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से है.

(v) "आश्रित" से आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, आश्रित माना जावेगा—
—पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
—अवयस्क पुत्र
—अविवाहित पुत्री
—पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
—आश्रित माता-पिता

(vi) "परिवार" से आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे सम्मिलित माने जाएंगे.

(vii) "नामिति" अथवा "नामिति" से आशय हिताधिकारी निर्माण श्रमिक द्वारा छत्तीसगढ़ नियम, 2009 के नियम 44(4) के अंतर्गत नाम निर्देशित किए गए नामिति से है.

(viii) "निगम" से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम से है.

(ix) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना-मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रवर्तित जनश्री बीमा योजना से है और इसमें निगम द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन भी शामिल है.

परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वहन-उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है.

(स) योजना का विवरण :—

(i) निर्माण श्रमिकों को धारा 22(1) सहपठित राज्य नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे केवल निगम कहा जावेगा) के सहयोग से मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए जीवन बीमा द्वारा निर्धारित समस्त अनुलाभों सहित प्रभावशील होगी.

(ii) **पात्रता —**

(1) 18 से 59 वर्ष की आयु समूह के निर्माणी श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे.

(2) हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों का इस योजना के अंतर्गत बीमा हो सकेगा.

(3) समूह की पात्रता और अधिसूचना जीवन बीमा निगम द्वारा नोडल एजेंसी अर्थात् बोर्ड की सलाह से निर्धारित की जाएगी.

(4) बोर्ड द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों, जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा, के लिए यह योजना प्रवर्तित होगी.

(iii) **हितलाभ—**

(1) सदस्य की सामान्य मृत्यु पर रुपये 30,000/-

(2) दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 75,000/-

(3) दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रुपये 75,000/-

(4) दुर्घटना में एक अंग या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रुपये 37,500/- का लाभ श्रमिक/आश्रित को दिया जाएगा.

1. हिताधिकारी जब स्वयं को क्षति पहुंचाये, आत्महत्या (स्वघात) हो एवं अत्यधिक शराब के सेवन करने से मृत्यु होने पर,

2. पर्वतारोहण करते हुए, शिकार करते हुए, दंगा करते हुए, युद्ध करते हुए, (अघोषित युद्ध) हुल्लड़ करते हुए,
(क्रमांक 1 एवं 2 की दशा में मृत्यु पर दुर्घटना मृत्यु का लाभ नहीं मिलेगा अपितु सामान्य मृत्यु पर योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा)

(iv) प्रीमियम राशि-प्रत्येक सदस्य के लिए रुपये 200/- वार्षिक प्रीमियम होगा जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात् 100 जीवन बीमा निगम द्वारा वहन की जावेगी.

(v) नोडल एजेंसी-हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के संबंध में बोर्ड नोडल एजेंसी होगा तथा बोर्ड एवं जीवन बीमा निगम द्वारा सभी परिचय-पत्र धारी श्रमिकों की ओर से बीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जावेंगी.

(द) **दावा कार्य प्रणाली :—**

(i) बीमित मृत सदस्य के नामिति या आश्रित को मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अन्य विवरण सहित प्रपत्र-एक में नोडल एजेंसी (जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी) को देनी होगी. नोडल एजेंसी द्वारा दावा फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में भेजते हुए बोर्ड को अवगत करायेगा तथा भारतीय जीवन निगम द्वारा दावे का निपटारा एकाउण्ट पेयी चेक बोर्ड के नाम से जारी कर किया जावेगा.

(ii) दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में उपयुक्त विवेचना तथा प्रमाणिकता साबित होने पर बोर्ड द्वारा बीमित अथवा आश्रित या नामिति को देय दावा राशि के अधिकतम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से किया जा सकेगा शेष दावा राशि का भुगतान बीमित या नामित को, निगम से दावे का भुगतान प्राप्त होने पर किया जावेगा.

(iii) श्रम विभाग के जिला कार्यालय में बीमित सदस्यों से दावा प्रार्थना पत्र और शिक्षा सहयोग योजना के आवेदन प्राप्त करने, उनकी जांच करने और दावा राशि का भुगतान संबंधित को करने के लिए बोर्ड की ओर से अधिकृत एजेंसी होंगे. बोर्ड द्वारा अन्य किसी विभाग के कार्यालयों को अधिकृत एजेंसी बनाया जा सकेगा.

(इ) **अन्य लाभ—** शिक्षा सहयोग का लाभ-मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना के धारकों को दो बच्चों तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए 100/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जावेगी. शिक्षा सहयोग योजनान्तर्गत हिताधिकारी को अथवा नोडल एजेंसी (बोर्ड) का कोई पृथक, प्रीमियम नहीं होगा.

(ई) **मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना की प्रक्रिया—** बोर्ड द्वारा प्रदेश में पंजीबद्ध किए गए निर्माण श्रमिकों की सूची, जिसमें निर्माण श्रमिकों का नाम, आयु तथा उनके नामांकितों (आश्रितों) का पता सम्मिलित होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम को समूह के निर्माण श्रमिकों को जनश्री बीमा योजना की परिधि में लाने के लिए उपलब्ध करायी जावेगी तथा निर्माण श्रमिकों के मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना हेतु 100/- प्रति सदस्य प्रीमियम बोर्ड द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अदा किया जाएगा.

(फ) **विसंगति का निराकरण—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 10-6/2012/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है :—

क्रमांक	कर्मकार का नाम
41.	नट-नटनी
42.	देवार
43.	शिकारी
44.	अन्य घुमन्तु जाति
45.	खैरवार
46.	रसोईयां
47.	हड्डी बीनने वाले (हड्बिन्ने)
48.	काष्ठागार में काम करने वाले हम्माल
49.	समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर)

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 10-7/2012/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(K) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असंगठित कर्मकार के रूप में अधिसूचित करने हेतु भूमि धारण करने की सीमा, निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

"2.5 एकड़ अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले कृषक अथवा खेतीहर मजदूर को असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत असंगठित कर्मकार माना जावेगा"

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 10-8/2012/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(K) एवं (N) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असंगठित कर्मकार के रूप में अधिसूचित करने हेतु आय की सीमा, निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

"रुपये 50,000/- वार्षिक से कम आय वाले कर्मकार"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक एफ 18-13/2012/11/(6)-पार्ट.—राज्य शासन एतद्द्वारा नवगठित 09 जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालयों हेतु अतिरिक्त 72 पदों की संरचना हेतु स्वीकृति प्रदान करता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	नवीन जिलों के अतिरिक्त पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महाप्रबंधक	15600-39100	6600	09
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	5200-20200	2800	09
3.	कम्प्यूटर आपरेटर	5200-20200	2400	09
4.	सहायक वर्ग-2	5200-20200	2400	04
5.	सहायक वर्ग-3/स्टेनोटायपिस्ट	5200-20200	1900	14
6.	जमादार	4750-7440	1300	09
7.	भृत्य/चौकीदार	4750-7440	1300	18
			योग	72

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 285/सी.एन. 0000/9/बजट-5/वित्त/चार 2012, दिनांक 24-04-2012 द्वारा जारी की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, संयुक्त सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2012

क्रमांक 441/पं.ग्रा.वि.वि./22/2012—राज्य शासन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, छत्तीसगढ़ निधि नियम-2011 को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबाशीष दास, सचिव.

नियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा (32) (2) खण्ड (ड),(च) एवं धारा 21 (1) (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा गठित "महात्मा गांधी राज्य रोजगार गारंटी निधि, छत्तीसगढ़ (MGNREGA State Employment Guarantee Fund, Chhattisgarh)" के प्रशासन एवं संचालन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, छत्तीसगढ़ निधि नियम- 2011 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee, Chhattisgarh Fund Rules - 2011)" होगा।

1.2 यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ एवं संक्षिप्त रूप

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं निम्नलिखित होगी :

2.1 "अधिनियम" से तात्पर्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 से है।

2.2 "राज्य परिषद्" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित एवं छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत् पंजीकृत "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्" से है।

2.3 "राज्य स्तरीय सशक्त समिति" से तात्पर्य "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्" की नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत गठित समिति से है।

2.4 "रोजगार गारंटी निधि" से तात्पर्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अंतर्गत गठित निधि से है। इस निधि को विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नामों से जाना जाएगा :-

2.4.1 राज्य स्तर पर : अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित "महात्मा गांधी राज्य रोजगार गारंटी निधि, छत्तीसगढ़ (MGNREGA State Employment Guarantee Fund, Chhattisgarh)" जिसे "राज्य निधि" कहा गया है।

2.4.2 जिला स्तर पर : "महात्मा गांधी जिला रोजगार गारंटी निधि" जिसे "जिला निधि" कहा गया है।

2.4.3 जनपद स्तर पर : "महात्मा गांधी जनपद रोजगार गारंटी निधि" जिसे "जनपद निधि" कहा गया है।

2.4.4 ग्राम पंचायत स्तर पर : "महात्मा गांधी पंचायत रोजगार गारंटी निधि" जिसे "पंचायत निधि" कहा गया है।

2.5 "लेखा इकाई" : छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जनपद के कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को पृथक-पृथक लेखा इकाईयाँ माना गया है।

2.6 उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु इसमें परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

संक्षिप्ताक्षर एवं संक्षिप्त रूप

1.	डी.पी.सी.	–	District Programme Co-ordinator (जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर)
2.	ए.डी.पी.सी.	–	Additional District Programme Co-ordinator (अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत)
3.	अजा/अजजा	–	Scheduled Caste/ Scheduled Tribe (आनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)
4.	पी.ओ.	–	Programme Officer (कार्यक्रम अधिकारी)
5.	केन्द्रीय परिषद्	–	Central Employment Guarantee Council (केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद्)
6.	राज्य परिषद्	–	Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Council छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्
7.	एनआरईजीए	–	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
8.	रो.ब.पृष्ठ	–	रोकड़ बही पृष्ठ
9.	स.क्र.	–	सरल क्रमांक
10.	Dr. (डे.)	–	Debit (डेबिट)
11.	Cr. (क्रे.)	–	Credit (क्रेडिट)
12.	एडब्ल्यूपीबी	–	Annual Work Plan and Proposal of Budget (वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव)

3. निधियों की प्राप्ति

3.1 वित्तपोषण

3.1.1 राज्य निधि का वित्तपोषण निम्नानुसार होगा :-

(क) भारत सरकार द्वारा अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली राशि ।

(ख) राज्य शासन द्वारा राज्यांश एवं स्थापना अनुदान के रूप में बजट के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि ।

(ग) अन्य प्रासंगिक प्राप्तियाँ (Incidental Receipts)

3.1.2 अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से, राज्य शासन के प्रस्ताव और पूर्व में विमोचित की गई निधि के उपयोग के आधार पर निधि उपलब्ध होगा।

3.1.3 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 दिसम्बर तक भारत सरकार की वेबसाइट में लेबर बजट को निर्धारित प्रपत्रों मे ऑनलाईन अद्यतन करते हुए लेबर बजट की विकासखण्डवार सूची व इसके निर्माण की प्रक्रिया का पालन किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र राज्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा।

3.1.4 राज्य परिषद् द्वारा जिलों से प्राप्त लेबर बजट को परीक्षण कर, समेकित वार्षिक कार्य योजना तथा समेकित बजट प्रस्ताव भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष जनवरी माह तक प्रेषित किया जाएगा।

3.1.5 राज्य परिषद् द्वारा बजट प्रस्ताव के साथ केंद्र सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों के लिये पूर्व में विमोचित की गई राशि के उपयोग की जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी ।

3.1.6 राज्य शासन द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय के लिये राज्य के बजट में आवश्यक निधि का प्रावधान किया जाएगा ।

4. वित्तीय प्रबंधन

4.1 बैंक खातों का संचालन

4.1.1 इस योजना के अंतर्गत राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जमा होने वाले धन के लिए अलग-अलग बैंक खाते खोले जाएंगे। ये खाते भारत सरकार द्वारा योजना के परिचालन हेतु जारी दिशानिर्देशों (Operational Guideline) के प्रावधानों के अधीन रहेंगे।

4.1.2 राज्य निधि से संबंधित बैंक खाते का संचालन आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं संयुक्त संचालक (वित्त) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

4.1.3 जिला स्तर पर बैंक खाते का संचालन जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के तथा जनपद स्तर पर बैंक खाते का संचालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

4.1.4 ग्राम पंचायत स्तर पर खोले गए खाते का संचालन सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा।

5. अनुदान जारी करने की पद्धति

5.1 अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

5.1.1 योजना अंतर्गत राज्य निधि, जिला निधि हेतु अनुदान/आबंटन प्राप्त करने की प्रक्रिया एक समान रहेगी।

5.1.2 भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राज्य निधि में रखा जाएगा। जिसे जिले से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के आधार पर जिलों को जारी किया जाएगा।

5.1.3 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले को ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष एक वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव भेजना होगा जिसके आधार पर राज्य परिषद् फैसला लेगी कि संबंधित वर्ष के दौरान उस जिले को संभवतः कितनी राशि की आवश्यकता होगी।

5.1.4 वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव की मांग जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत श्रम बजट में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव में इस बात का भी ब्यौरा दिया जाएगा कि जिले को अब तक मिले अनुदानों का किस तरह सदुपयोग किया गया है तथा योजना के अंतर्गत प्रदर्शन के निर्धारित मानक क्या रहे हैं।

5.1.5 अद्यतन आबंटन/अनुदान के 50 प्रतिशत अंश का सदुपयोग कर लेने के बाद, जिला कार्यक्रम समन्वयक राज्य निधि से अगली किश्त जारी किए जाने के लिए आवश्यक तैयारी प्रारंभ कर देगा तथा 60 प्रतिशत व्यय होने पर परिषद् के पास अनुदान के लिए आवेदन करेगा। यह प्रस्ताव योजना के परिचालन दिशा-निर्देश में विहित प्रारूप में होगा। अगली किश्त कंडिका 5.4 में वर्णित शर्तों के पूर्ण करने पर जारी की जाएगी।

5.1.6 भारत सरकार के निर्देशानुसार किश्त के प्रस्ताव ऑनलाईन भी प्रेषित किए जा सकेंगे। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा।

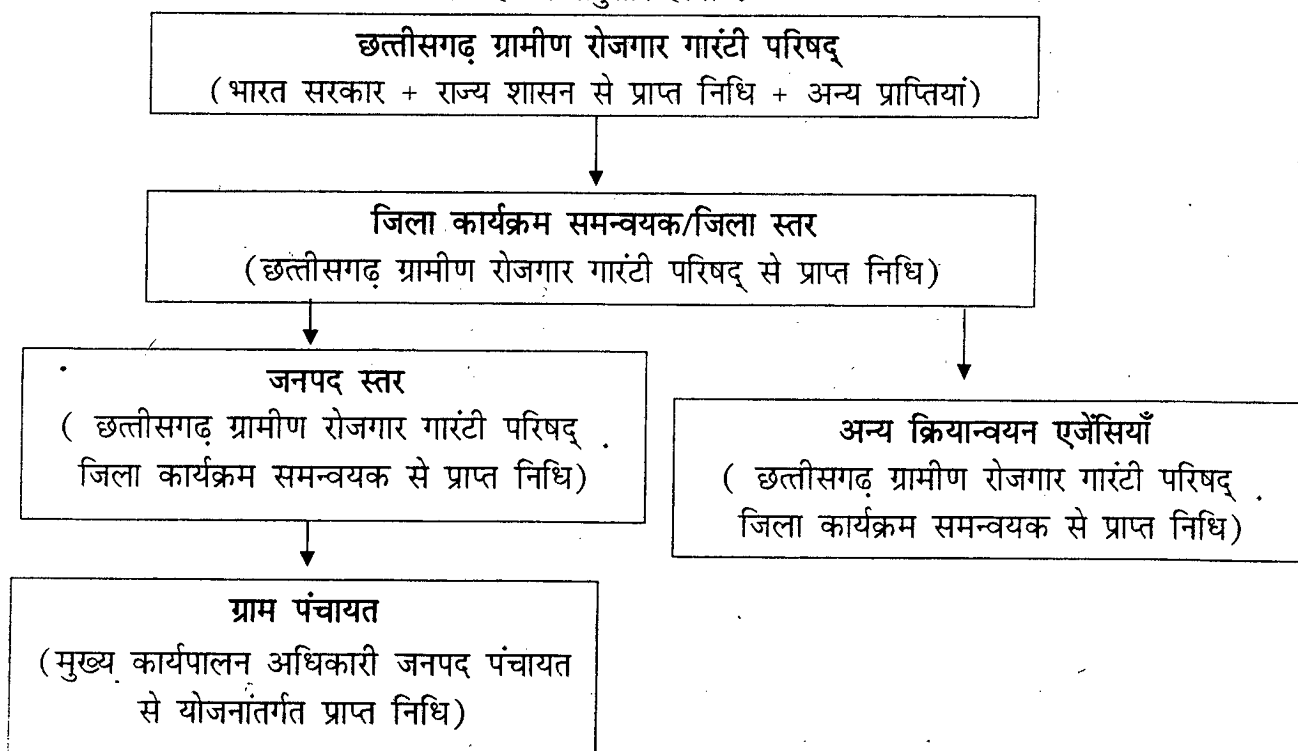
5.1.7 राज्य परिषद् अनुदानों के दुरूपयोग के आधार पर किसी क्रियान्वयन एजेंसी को मिलने वाली सहायता रद्द कर सकती है। उस एजेंसी को मिलने वाली सहायता तभी बहाल की जाएगी जब राज्य परिषद् इस बारे में संतुष्ट हो जाएगी कि संबंधित एजेंसी द्वारा त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं।

5.1.8 जिला कार्यक्रम समन्वयक अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को अनुदान जारी करेगा। स्वीकृत राशि की जानकारी सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अनिवार्यतः दी जाएगी।

5.1.9 भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को किसी जिले द्वारा अनुदान का समुचित उपयोग न किए जाने की स्थिति में किसी अन्य जिले को जिसे अनुदान की तत्काल आवश्यकता है, अस्थायी रूप से सशक्त समिति के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा सकेगा। यह अनुदान राशि भविष्य में समायोजन योग्य रहेगी।

5.2 निधि का प्रवाह

योजनांतर्गत निधियों का प्रवाह निम्नानुसार होगा :-



5.3 अनुदान की पात्रता

5.3.1 उपलब्ध अनुदान/आबंटन के 60 प्रतिशत का उपयोग होते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुदान/आबंटन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

5.4 किश्त/अनुदान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक निर्देश

किश्त/अनुदान प्रस्ताव प्रेषित करते समय निम्न तथ्यों का अवश्य ध्यान रखा जाये :-

5.4.1 उपलब्ध राशि के 60 प्रतिशत का उपयोग होते ही प्रस्ताव तत्काल राज्य परिषद् को भेजा जाएगा।

5.4.2 विगत वित्तीय वर्ष एवं इस वर्ष के विगत माह तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत किया जाये। उपयोगिता प्रमाण पत्र में उपलब्ध निधि, प्रतिशत व्यय तथा शेष उपलब्ध राशि का स्पष्ट उल्लेख हो।

5.4.3 जारी वित्तीय वर्ष का जिले का श्रम बजट प्रस्तुत किया जाए।

5.4.4 यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय श्रम बजट से अधिक हो रहा हो तो उसका समुचित कारण प्रस्तुत किया जाए।

5.4.5 विगत वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जिसमें समस्त क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोगिता तथा अंतिम शेष का सही-सही व स्पष्ट उल्लेख हो।

5.4.6 यह सुनिश्चित किया जाये कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम शेष व इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष एक समान हों।

5.4.7 एम.आई.एस. में डाटा निरंतर अद्यतन रखे जायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा एम.आई.एस. डाटा में अंतर न हो।

5.4.8 प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएंगें :-

(i) उपलब्ध निधि का उपयोग किसी अन्य योजना में न करने संबंधी No Diversion of Fund प्रमाण पत्र।

(ii) राशि का दुरूपयोग न होने संबंधी No Embezzelment of Fund प्रमाण पत्र।

(iii) जिले में विलंबित भुगतान न होने के संबंध में प्रमाण पत्र।

(iv) लोकपाल की नियुक्ति, शिकायतों का निराकरण तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण की अद्यतन स्थिति।

(v) राज्य परिषद् एवं भारत सरकार द्वारा पूर्व में चाही गई कोई अन्य जानकारी अथवा स्पष्टीकरण।

(vi) समस्त संलग्न दस्तावेजों की चेकलिस्ट।

5.4.9 प्रस्तावित राशि का उल्लेख करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र।

5.4.10 उक्त समस्त दस्तावेज स्कैन कराकर ई-मेल द्वारा भी प्रेषित किए जायेंगे।

6. व्यय एवं भुगतान

6.1.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार निम्नलिखित व्यय वहन करेगी :

(क) अकुशल शारीरिक श्रमिकों के वेतन की पूरी लागत।

(ख) कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के वेतन तथा भौतिक लागतों का 75 प्रतिशत अंश।

(ग) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक पर प्रशासकीय खर्चे। इनमें संविदा या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों तथा उनके सहायककर्मियों के वेतन व भत्ते के साथ-साथ कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का खर्चा भी शामिल होगा।

6.1.2 राज्य सरकार निम्नलिखित व्यय वहन करेगी :-

(क) कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के वेतन तथा सामग्री व्यय का 25 प्रतिशत अंश।

6.2 रोजगार गारंटी निधि के संवितरण अधिकारी नीचे अंकित अनुसार होंगे :-

राज्य स्तर पर :- आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं संयुक्त संचालक (वित्त)

जिला स्तर पर :- जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद स्तर पर :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से

ग्राम पंचायत स्तर पर :- सरपंच एवं सचिव संयुक्त रूप से

6.3 रोजगार गारंटी निधि के धनादेश के निधिपाल (Custodian) नीचे अंकित अनुसार होंगे :-

राज्य स्तर पर :- लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, राज्य परिषद्

जिला स्तर पर :- लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

जनपद स्तर पर :- लेखापाल, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

ग्राम पंचायत स्तर पर :- पंचायत सचिव

6.4 समस्त वसूलियाँ एवं भुगतान संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी पर एवं उनके द्वारा किए गए माने जाएंगें।

6.5 निधि से संव्यवहार हेतु प्रत्येक अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त तथा भुगतान की गई राशि की लेखों में दैनिक प्रविष्टि एवं लेखों की शुद्धता के बारे में पूर्णरूपेण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

6.6 योजना के अंतर्गत निधि प्राप्त करने वाला अधिकारी, जब तक निधि का लेखा राज्य परिषद् को उसकी संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत नहीं करता, निधि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। भुगतान अधिकृत व्यक्तियों को ही किया गया है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उसी अधिकारी की होगी।

6.7 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा

6.8 यदि प्रदाय आदेश (Supply Order) में प्रावधानित हो, तो मुख्यालय से बाहर के भुगतान बैंक ड्रॉफ्ट से भी किए जा सकते हैं ।

6.9 रूपये 500 एवं उससे अधिक के सभी भुगतान धनादेश के माध्यम से किए जाएंगे।

6.10 रूपये 1000 एवं उससे अधिक के सभी धनादेशों को रेखांकित कर ''एकाउंट पेयी'' (Account Payee) अंकित किया जाएगा ।

7. लेखा प्रणाली

सभी लेखा इकाईयों में इस योजना के संधारण के लिए पृथक से कैश बुक, लेजर, धनादेश निर्गमन पंजी, बैंक समाशोधन पंजी, आय-व्यय पत्रक, बैलेंस शीट एवं इससे संबंधित समस्त आवश्यक पंजियाँ संधारित की जाएगी, जिनमें से कुछ का प्रारूप **परिशिष्ट-1** में प्रदर्शित है।

7.1 लेखाँकन

7.1.1 योजनान्तर्गत लेखा दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अनुसार संधारित किया जाएगा।

7.1.2 योजना की मुख्य गतिविधियां श्रमिकों को रोजगार प्रदाय करना एवं निर्माण से संबंधित है अत: मस्टररोल, रोजगार पंजी, परिसंपत्ति पंजी, मजदूरी एवं सामग्री भुगतान पंजी आदि पुस्तकों का संधारण भारत सरकार के परिचालन दिशानिर्देश अनुसार किया जाएगा।

7.1.3 खातों मे उपलब्ध राशि को केवल तभी खर्च किया जा सकता है जब उन कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो। अगर

इस तरह की स्वीकृति से पहले कोई खर्च किया जाता है तो उसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगी।

7.1.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखापरीक्षा नियम, 2011 के नियम 3 (1) के तहत् सामाजिक अंकेक्षण कराना क्रियान्वयन एजेंसियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

7.1.5 क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का किसी अन्य मद में या कार्य में उपयोग नहीं किया गया है। अन्य मदों/कार्यों में उपयोग किए जाने पर इसे अनियमित माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 लेखा शीर्ष तथा लेखों की सारणी

योजनांतर्गत प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा शीर्षों का वर्गीकरण तथा लेखाँकन 'परिशिष्ट-2'' में प्रस्तुत सारणी अनुसार किया जाएगा।

7.3 रोकड़ का सत्यापन :

7.3.1 संवितरण अधिकारी द्वारा अपनी रोकड़ बही में की गई सभी प्रविष्टियों की दैनिक जांच की जाएगी तथा प्रविष्टियों पर लघु हस्ताक्षर के साथ अंतिम प्रविष्टि पर दिनांकित हस्ताक्षर किए जाएंगे। मासिक लेखों का सत्यापन आगामी माह के 10 तारीख तक किया जाएगा।

7.3.2 अधिकारी द्वारा किये जाने वाले सत्यापन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं :-

(1) व्हाऊचरों में दर्शाई गई राशि की प्रत्येक प्रविष्टि का प्रभारित कुल राशि से मिलान किया जाएगा और उसी समय यह भी देखना होगा कि उनके द्वारा अभिलेखित भुगतान आदेश व्हाऊचर पर अंकित है एवं स्वयं अथवा प्राधिकृत अधीनस्थ के हस्ताक्षर का संवितरण प्रमाण पत्र अंकित है।

(2) भुगतान पक्ष में व्हाऊचरों की प्रविष्टियों की जांच करते समय देखा जाएगा कि व्हाऊचरों में दर्शाई गई सभी कटौतियों की प्रविष्टि रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में भी कर दी गई है।

7.3.3 बैंक को प्रेषित की गई राशि की प्रत्येक प्रविष्टि का मिलान बैंक जमा पर्ची एवं बैंक पास बुक से करना होगा एवं यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राशि वास्तव में बैंक खाते में जमा हो गई है।

7.3.4 रोकड़ बही के बैंक शेष तथा बैंक खाते के शेष का मिलान होना चाहिये। यदि रोकड़ बही के शेष और बैंक खाते के शेष में कोई अंतर हो तो उसके मिलान के लिये बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement) तैयार किया जाएगा।

7.3.5 रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि संक्षिप्त एवं स्पष्ट होनी चाहिये। उसमें दिनांक, व्हाऊचर का क्रमांक एवं कार्य का नाम और लेन-देन की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण दिया जाना होगा।

7.3.6 रोकड़ बही में लेन-देन अनिवार्य रूप से घटनाक्रम के अनुसार ही प्रविष्टि किया जाना होगा।

7.3.7 भुगतान हेतु व्हाऊचरों को प्रतिमाह अलग श्रृंखला में क्रमानुसार क्रमांकित किया जाना चाहिये और रोकड़ बही में लेनदेन की प्रविष्टि के साथ ही व्हाऊचर पर सरल क्रमांक अंकित किया जाना होगा।

7.3.8 सभी भुगतानों को अनिवार्य रूप से उस कार्य अथवा सेवा, जिनके लिये भुगतान किया गया है, को डेबिट किया जाना होगा।

7.3.9 रोकड़ बही के पृष्ठों पर पृष्ठ क्रमांक अंकित होने चाहिये एवं प्रमाणीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा होना चाहिए।

7.3.10 रोकड़ बही की कोई भी पंक्ति खाली नही छोड़ी जावे। यदि कोई पृष्ठ आधा उपयोगित होता है और शेष पृष्ठ खाली छूट गया है तो खाली जगह को निरस्त करने के लिये तिरछी रेखा खींच देना होगा ताकि उसके बाद कोई भी प्रविष्टि किए जाने की संभावना न रहे।

7.3.11 प्रविष्टियों में प्रक्षेप (Insertion) यथा संभव नही किया जावे। यदि दो पंक्तियों के मध्य प्रविष्टि करना या कुछ जोड़ना अथवा पूर्व में की गई दो प्रविष्टियों के मध्य प्रक्षेप करना आवश्यक हो तो ऐसी प्रविष्टि या प्रक्षेप सदैव अधिकारी के दिनांकित लघु हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना होगा।

7.4 यदि धनादेश (चेक) को निरस्त किया जाना आवश्यक हो

7.4.1 ऐसे प्रकरण में जहां धनादेश जारी नहीं किया गया है, धनादेश पर ही दिनांकित हस्ताक्षर सहित "निरस्त" अभिलेखित किया जाना होगा।

7.4.2 यदि धनादेश जारी हो चुका है तो उसे वापिस लेकर निरस्त किये जाने का उल्लेख मूल धनादेश पर इस प्रकार किया जाना होगा कि मूल धनादेश डिफेस (Deface) हो जाए। रोकड़ बही (Cash Book) में की गई पूर्व प्रविष्टियों के विपरीत प्रविष्टियां भी किया जाना होगा।

7.4.3 यदि धनादेश, धनादेश काटने वाले अधिकारी के पास नही है तो ऐसी स्थिति में रोकड़ बही में निरस्तीकरण की प्रविष्टियां करने के पूर्व बैंक से भुगतान न होने (Non-Payment) एवं भुगतान रोक देने (Stop Payment) का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

7.4.4 यदि धनादेश का भुगतान किसी भी कारण से जारी करने की तिथि से छः माह तक नही हो पाता और उसे नया धनादेश जारी करने के लिये समर्पित भी नही किया जाता है तो कंडिका 7. 4.3 में दर्शाए गये प्रक्रिया के अनुसार उसे निरस्त कर दिया जाना होगा।चैक से संबंधित राशि रोकड़ बही में राइट बैक (Write Back) किया जाना होगा।

7.4.5 नवीनीकरण के लिये प्राप्त कालातीत (Time Barred) धनादेश को नष्ट नही किया जाना चाहिये। इस कार्य हेतु रोकड़ बही में संशोधन न करते हुये, रोकड़ बही में लाल स्याही से उपयुक्त प्रविष्टी किया जाना होगा। कालातीत चेक, धनादेश जारी करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर से, निरस्त किया जाना होगा। निरस्त किये गये धनादेश को उसके बदले मे जारी किये गये धनादेश का व्हाऊचर माना जाना होगा। तथा नया धनादेश जारी करने का उल्लेख उस पर भी किया जाना होगा।

7.4.6 यदि खोए हुए धनादेश के बदले में नया धनादेश जारी करने के लिये आवेदन प्राप्त होता है तो नया धनादेश जारी करने के पूर्व बैंक से भुगतान न होने (Non-Payment) एवं भुगतान रोकने (Stop-Payment) के प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा एवं रोकड़ बही में इसकी लाल स्याही से उपयुक्त प्रविष्टी किया जाना होगा। खोए हुये धनादेश के निरस्तीकरण, नवीन धनादेश जारी करने की टीप रोकड़ बही की मूल प्रविष्टी के सामने भी अंकित किया जाना होगा।

7.4.7 यदि खोए गए धनादेश पर भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो तो तत्काल संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए राशि की वसूली की जायें।

7.5 धनराशि की प्राप्ति

7.5.1. धनराशि प्राप्त होने पर उसकी प्रविष्टी रोकड़ बही के प्राप्ति कॉलम में ही अंकित किया जाये। स्थानीय बैंको द्वारा जारी किये गये बैंक धनादेश ड्राफ्टों के लिये, जब तक वे समाशोधित (Cleared) नहीं हो जाते, भुगतानकर्ता को अंतिम रसीद न दिया जाये।

7.5.2 प्राप्त की गई राशि की नियमानुसार रसीद दी जाए एवं उसी दिन अधिकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि राशि की प्राप्ति रोकड़ बही में अभिलेखित कर ली जाये।

7.5.3 अधिकारी द्वारा पाप्त की गई धनराशि को आगामी कार्यदिवस में बैंक में जमा करना होगा।

7.6 अभिलेखों को सुरक्षित रखने की अवधि :-

7.6.1 अभिलेखों को सुरक्षित रखने की अवधि आगे दी गई तालिका में दर्शित है, लेकिन अभिलेखों का नष्ट करने से पूर्व निर्धारित अवधि के पश्चात् भी निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये।

(i) यदि कार्य अपूर्ण है तो निर्धारित अवधि के पश्चात् भी अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे।
(ii) उन मामलो से संबंधित दस्तावेज जो कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत लंबित हैं, निर्धारित अवधि पश्चात् भी सुरक्षित रखे जाएंगे।
(iii) कर्मचारियों की सेवा संबंधी दावे, दस्तावेज एवं व्यक्तिगत मामलों की जानकारी जिनका संबंध सेवा से है निर्धारित अवधि पश्चात् भी सुरक्षित रखे जाएंगे।
(iv) दस्तावेजों को नष्ट करने के लिये आयुक्त से नष्ट किये जाने वाले दस्तावेजों के विवरण सहित स्वीकृति ली जानी चाहिये।
(v) कोई भी लेखा-जोखा या दस्तावेज, जिसका अंकेक्षण महालेखाकार, स्थानीय निधि संपरीक्षा, चार्टर्ड एकाउन्टेंट या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना है, को नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका अंकेक्षण नहीं हो जाता और अंकेक्षण की आपत्तियां दूर नहीं कर ली जाती।
(vi) उपरोक्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखने संबंधी सूची व्यापक या अंतिम नहीं है। कोई दस्तावेज, जिसकी भविष्य में कोई आवश्यकता नही पड़ने वाली है, को भी नष्ट नही किया जा सकता है, बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी जिम्मेदारी ले और आयुक्त से विधिवत् आदेश प्राप्त कर लिये गये हो।

विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की न्यूनतम अवधि :-

क्र	दस्तावेजों का विवरण	सुरक्षित रखने का समय
1	रोकड़ बही	स्थाई
2	वेतन देयक एवं पावती पत्रक	स्थाई
3	यात्रा भत्ता देयक एवं पावती पत्रक	5 वर्ष
4	डाक टिकट से संबंधित लेखा	5 वर्ष
5	मृत स्कंध पंजी (Dead Stock)	स्थाई
6	प्रमाणक (व्हाऊचर)	स्थाई
7	अग्रिम स्वीकृति संबंधी दस्तावेज	5 वर्ष
8	शासकीय आदेश	स्थाई
9	निविदाओं (Quotatians) का तुलनात्मक पत्रक	स्थाई
10	माप पुस्तिका	स्थाई
11	जमा एवं अग्रिम पंजी (Register of Deposits & Advances)	स्थाई

8. लेखा परीक्षा

8.1 निधियों की लेखापरीक्षा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011" के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबाशीष दास, सचिव.

परिशिष्ट-1

लेखा इकाईयों में संधारित की जाने वाली आवश्यक पंजियों का प्रारूप

प्रपत्र : 1

रोकड़ बही (Cash Book)

कार्यालय का नाम .... माह .... वर्ष................

प्राप्ति पक्ष (डेबिट)

दिनाँक	विवरण	व्हा. क्र.	लेजर फोलियो क्र.	राशि (नगद)	राशि (बैंक)	योग	लेखा शीर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8

भुगतान पक्ष (क्रेडिट)

दिनाँक	विवरण	व्हा. क्र.	लेजर फोलियो क्र.	राशि (नगद)	राशि (बैंक)	योग	लेखा शीर्ष
9	10	11	12	13	14	15	16

प्रपत्र : 2

लेजर (खाता)

नाम खाता ....

माह............ वर्ष.........

दिनाँक	विवरण	रो.ब. फोलियो क्र.	नामे खाता (डे.)	जमा खाता (क्रे)	शेष राशि
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र : 3

तुलन पत्र (Trial Balance)

कार्यालय का नाम ....

(दिनांक .... की स्थिति में)

क्रमांक	विवरण	ले.फो. क्र.	राशि (डे.)	राशि (क्रे.)
1	2	3	4	5

प्रपत्र : 4

बैंक समाशोधन पत्र

Bank Reconciliation Statement

जिला /जनपद/ ग्राम पंचायत/एजेंसी का नाम ....

(दिनांक .... की स्थिति में)

बैंक का नाम (बैंक कोड) .... IFSC कोड ....

खाता क्रमांक ....

विवरण	राशि
(अ) रोकड़ बही (कैश बुक) के अनुसार शेष	
जोड़ें	
(i) बैंक में सीधे जमा चैक/नगद/ड्राफ्ट	
(ii) बैंक द्वारा जारी ब्याज जिसकी प्रविष्टि नहीं हुई है	
(iii) जारी चैक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए	
(iv)	
योग (ब)	
घटाएँ	
(i) बैंक द्वारा विकलित प्रभार शुल्क	
(ii) बैंक में जमा चैक जो क्रेडिट नहीं किए गए	
(iii)	
योग (स)	
(ब) बैंक विवरणिका (पास बुक) के अनुसार शेष (अ + ब − स)	

प्रपत्र -5

संस्था का नाम.........................

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

अवधि ....से .... तक

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
1. प्रारंभिक शेष		1. एजेंसियों को अग्रिम	
(अ) हस्तगत रोकड़ (संस्था में)		(अ) जिला पंचायत	
(ब) बैंक शेष		(ब) जनपद पंचायत	
(स) एजेंसी के पास शेष		(स) ग्राम पंचायत	
2. अनुदान की प्राप्ति		(द) अन्य क्रियान्वयन एजेंसी	
(अ) भारत सरकार से		2. योजना पर व्यय	
(ब) राज्य सरकार से		(अ) जिला पंचायत	
(स) अन्य प्राप्तियां		(ब) जनपद पंचायत	
3. ब्याज प्राप्ति		(स) ग्राम पंचायत	
(अ) राज्य स्तर पर		(द) अन्य क्रियान्वयन एजेंसी	
(ब) जिला पंचायत स्तर पर		3. जारी अनुदान	
(स) जनपद पंचायत स्तर पर		(अ) जिला पंचायत	
(द) क्रियान्वयन एजेंसी स्तर पर		(ब) जनपद पंचायत	
4. विविध		(स) ग्राम पंचायत	
(अ) राज्य स्तर पर		(द) अन्य क्रियान्वयन एजेंसी	
(ब) जिला पंचायत स्तर पर		4. प्रशासनिक/ अन्य व्यय	
5. अग्रिम/ ऋण / अनुदान की वापसी		(अ) वेतन/मानदेय	
(अ) जिला पंचायतों से		(ब) अंकेक्षण शुल्क	
(ब) जनपद /ग्राम पंचायतों से		(स)	
(स) अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों से		(द)	
		5. अंतिम शेष राशि	
		(अ) हस्तगत रोकड़	
		(ब) बैंक शेष	
		(स) एजेंसी के पास शेष	
योग		योग	

प्रपत्र : 6

चिट्ठा (Balance Sheet)

कार्यालय का नाम ....

(दिनांक .... की स्थिति में)

दायित्व	राशि	संपत्ति	राशि
1	2	3	4
सामान्य निधि		स्थायी सम्पत्ति	
प्रारंभिक शेष -		अग्रिम	
(+) वर्ष में प्राप्त		**रोकड़, बैंक शेष**	
(-) यदि कुछ हो		हस्तगत रोकड़	
		बैंक शेष	
अन्य दायित्व		अन्य संपत्तियाँ	
(अ)			
(ब)			
(स)			
(द)			
योग		**योग**	

(परिशिष्ट-2)

लेखों की सारणी (लेखाँकन एवं वर्गीकरण)

	लेखांकन			
क्र	डेबिट	क्रेडिट	लेखा शीर्ष क्रमांक	संचालनकर्ता
1.	निधि (प्राप्ति)			
1.01		छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि में भारत सरकार से प्राप्त राशि	1.01	राज्य परिषद्
1.02		छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि में राज्य शासन से प्राप्त राशि	1.02	राज्य परिषद्
1.03	छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि को स्थानांतरित राशि (केन्द्रीय अंश)		1.03	राज्य परिषद्
1.04	छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि को स्थानांतरित राशि (राज्य अंश)		1.04	राज्य परिषद्
1.05		छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि (केन्द्रीय अंश)	1.05	एडीपीसी
1.06		छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि (राज्य अंश)	1.06	एडीपीसी
1.07		भारत सरकार से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि	1.07	एडीपीसी
1.08		राज्य शासन से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि	1.08	एडीपीसी
1.09	जिला रोजगार गारंटी निधि से जनपद रोजगार गारंटी निधि को स्थानांतरित राशि		1.09	एडीपीसी
1.10	जिला रोजगार गारंटी निधि से जनपद रोजगार गारंटी निधि (ग्राम पंचायत) को स्थानांतरित राशि		1.10	एडीपीसी
1.11		जिला रोजगार गारंटी निधि से जनपद रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि	1.11	पी.ओ
1.12	जनपद रोजगार गारंटी निधि से रोजगार गारंटी निधि (ग्राम पचांयत) को स्थानांतरित राशि		1.12	पी.ओ
1.13		जिला रोजगार गारंटी निधि से रोजगारगारंटी निधि (ग्राम पंचायत) में प्राप्त राशि	1.13	जी.पी
1.14		जनपद रोजगार गारंटी निधि से रोजगारगारंटी निधि (ग्राम	1.14	जी.पी

		पंचायत) में प्राप्त राशि		
1.15		सृजित हुई प्रासंगिक (इंसीडेंटल) निधि (1) बैंक से प्राप्त ब्याज (2) विविध प्राप्तियां	1.15	सभी संबंधित
		प्रासंगिक निधि का योग		
2.	प्रेषण की जाने वाली कटौतियां			
2.1		कर्मचारियों से प्रेषण योग्य कटौतियां	2.01	सभी संबंधित
3.	पुनर्भुगतान योग्य जमा			
3.1		विविध जमा	3.01	सभी संबंधित
4	योजना क्रियान्वयन (व्यय)			
	प्रत्यक्ष व्यय			
4.1	मजदूरी - अकुशल श्रमिक (केन्द्रीय अंश)		4.01	पीओ/जीपी
4.2	मजदूरी - अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक (केन्द्रीय अंश)		4.02	पीओ/जीपी
4.3	मजदूरी - अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक (राज्य अंश)		4.03	पीओ/जीपी
	कुल मजदूरी - अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक			
4.4	सामग्री (केन्द्रीय अंश)		4.04	पीओ/जीपी
4.5	सामग्री (राज्य अंश)		4.05	पीओ/जीपी
	कुल सामग्री			
	आकस्मिक व्यय (केन्द्रीय अंश)			
4.6	श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाएं		4.06	पीओ/जीपी
4.7	श्रमिकों को अनुग्रह राशि का भुगतान		4.07	पीओ/जीपी
4.8	श्रमिकों का चिकित्सा व्यय		4.08	पीओ/जीपी
	कुल आकस्मिक व्यय (केन्द्रीय अंश)			
	प्रत्यक्ष व्यय का योग			
5.	बेरोजगारी भत्ता		5.01	जी.पी
6.	सामाजिक सुरक्षा गतिविधियां		6.01	पीओ/एडीपीसी
7.	अन्य योजना व्यय			
7.1	संचार एवं प्रचार व्यय		7.01	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.2	योजना एवं तकनीकी सहायता व्यय		7.02	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.3	प्रशिक्षण व्यय		7.03	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.4	पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन व्यय		7.04	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.5	लेखा परीक्षा शुल्क एवं व्यय		7.05	राज्य परिषद् / एडीपीसी

	अन्य योजना व्यय का योग			
8.	**प्रशासनिक व्यय**			
8.1	वेतन एवं भत्ते i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग		8.01	सभी संबंधित
8.2	यात्रा व्यय i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग		8.02	सभी संबंधित
8.3	चिकित्सा व्यय i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग		8.03	सभी संबंधित
	आकस्मिक व्यय			
8.4	पी.ओ.एल.		8.04	सभी संबंधित
8.5	वाहनों का किराया प्रभार		8.05	सभी संबंधित
8.6	छपाई एवं लेखन सामग्री		8.06	सभी संबंधित
8.7	फोटोकॉपी एवं टंकण		8.07	सभी संबंधित
8.8	डाक एवं कोरियर		8.08	सभी संबंधित
8.9	बैंक प्रभार		8.09	सभी संबंधित
8.10	अन्य व्यय		8.10	सभी संबंधित
	कुल आकस्मिक व्यय i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग			
	प्रशासनिक व्यय का योग			
9.	**पूंजीगत व्यय**			
9.1	परिसंपत्तियों का क्रय		9.01	सभी संबंधित
10	**वसूली योग्य अग्रिम**			
10.1	अन्य क्रियान्वयन एर्जेसियों को अग्रिम		10.01	पी.ओ
10.2	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		10.02	सभी संबंधित
10.3	कर्मचारियों से वसूली योग्य		10.03	सभी संबंधित
10.4	कर्मचारियों को अस्थाई अग्रिम		10.04	जी.पी
	वसूली योग्य अग्रिमों का योग			
11.	**रोकड़ एवं बैंक शेष**			
11.1	रोकड़ शेष i. केन्द्रीय निधि ii. राज्य निधि योग		11.01	सभी संबंधित
11.2	बैंक शेष i. केन्द्रीय निधि ii. राज्य निधि		11.02	सभी संबंधित

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2012

क्रमांक/483/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	धुमा प.ह.नं. 26/34	3.625	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	कसही जलाशय के डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/4444/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	जंगलपुर प. ह. नं. 16	3.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के अंतर्गत डुबान एवं नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/4446/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयीग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रामपुर प. ह. नं. 21	0.347	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बैराज के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 4 अप्रैल 2012

क्रमांक 19/क/अविअ./भू.अ./अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गनियारीपाली	2.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	सिंगबहाल जलाशय योजना उलट निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्ट एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	उमरखोही प.ह.नं. 34	0.554	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	आर. एम. के. के. मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2012

प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अंर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	केनाडाड प.ह.नं. 2	5.737	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2012

प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	केनाडाड प.ह.नं. 2	0.945	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2012

प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मझगवां प.ह.नं. 2	1.044	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण क्रमांक 4 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2012

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मझगवां प.ह.नं. 2	1.709	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण क्रमांक 3 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./13/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	ताराशिव प. ह. नं. 13	665	0.072	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोग हेतु सड़क निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			663/2	0.073		
			634	0.072		
			663/1	0.073		
			662	0.162		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			653	0.040		
			643/3	0.134		
			642	0.133		
			636	0.073		
			643/2	0.134		
			623	0.061		
			615/3	0.287		
			615/4	0.162		
			615/6	0.080		
			615/2	0.337		
			615/5	0.138		
			615/1	0.190		
			640/1	0.158		
			641	0.210		
			643/4	0.020		
			625	0.060		
			626/1	0.040		
			626/2	0.133		
			638/1	0.174		
			644, 646	0.182		
			652	0.024		
			660/1	0.295		
			660/2	0.300		
			624	0.040		
		योग	29	3.857		

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./14/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	खम्हरिया प. ह. नं. 11	116/3	0.202	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			116/19	0.056		
			116/21	0.316		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			116/7	0.150		
			116/25	0.040		
			116/26	0.767		
			116/27	0.162		
			116/28	0.121		
			116/33	0.081		
			141/2	0.048		
			125	0.048		
			126/2	0.132		
			126/3	0.053		
			127/1	0.057		
			127/2	0.145		
			127/4	0.101		
			127/3	0.101		
			74/13	0.255		
			456/1	0.032		
			490/1	0.164		
			490/3	0.332		
			490/8	0.154		
			490/9	0.032		
			435/1	0.368		
			490/4	0.405		
			490/7	0.004		
			435/2	0.113		
			490/12	0.040		
			435/3	0.202		
			437/1	0.263		
			126/1	0.194		
			26, 27	0.150		
			491/1	0.121		
			436/2	0.569		
			436/1	0.568		
			491/2	0.150		
			434/2	0.263		
			438/1	0.040		
			438/2	0.202		
			440/4	0.202		
			437/3	0.263		
			434/1	0.364		
		योग	42	8.030		

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./15/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	बहेसर प. ह. नं. 17	470/19	0.182	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			481/4	0.162		
			578	0.081		
			571/1	0.143		
			573/1	0.324		
			563/2	0.283		
			562/1	0.162		
			562/2	0.210		
			573/2	0.324		
			576/2	0.223		
			579	0.101		
			580	0.093		
			581/2	0.097		
			582	0.810		
			472	0.060		
			513	0.060		
			553	0.040		
			583	0.121		
			584	0.226		
			585	0.040		
			507	0.032		
			508	0.129		
			503/1-2	0.177		
			501	0.052		
			502	0.141		
			515/1	0.339		
			515/2	0.611		
			515/3	0.369		
			515/4	0.676		
			515/5	0.230		
			515/6	0.329		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			515/7	0.340		
			481/1	0.202		
			483	0.182		
			577/2	0.125		
			477	0.364		
			471/14	0.060		
			470/3	0.198		
			470/6	0.045		
			470/16	0.405		
			478	0.093		
			471/1-3-4	0.206		
			577/1, 2, 3	0.156		
			577/4	0.156		
			477/4	0.014		
			481/2	0.134		
			471/2, 5	0.324		
			482	0.020		
		योग	**48**	**9.851**		

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./16/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	तुलसी प. ह. नं. 17	120/1	0.04	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			120/2	0.207		
			120/3	0.263		
			120/4	0.202		
			120/5	0.142		
			149/2	0.202		
			150	0.336		
			151	0.255		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			155/1	0.202		
			153	0.101		
			154	0.445		
			289/2	0.324		
			296/1	0.263		
			296/6	0.073		
			296/8	0.781		
			296/1	0.263		
			296/6	0.073		
			296/8	0.781		
			297/2	0.109		
			297/3	0.517		
			297/4	0.348		
			360/189	0.405		
			298/1	0.121		
			360/188	0.202		
			360/203	0.138		
			360/204	0.231		
			360/147	0.101		
			360/148	0.101		
			360/68	0.101		
			360/70	0.101		
			302/1	0.243		
			302/2	0.405		
			303/2	0.004		
			304/2	0.101		
			360/167	0.275		
			360/165	0.283		
			360/152	0.477		
			360/104	0.405		
			360/107	0.040		
			355/1	0.598		
			355/2	0.599		
			432	0.202		
			443/3	0.069		
			441	0.182		
			304/12	0.194		
			443/2	0.991		
			439/1	0.130		
			439/2	0.187		
			439/3	0.021		
			439/4	0.118		
			439/5	0.102		
			439/6	0.077		
			439/7	0.063		
			439/8	0.058		
			439/9	0.065		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			439/10	0.065		
			439/2	0.065		
			439/13	0.066		
			439/14	0.065		
			439/15	0.059		
			439/16	0.124		
			439/17	0.073		
			439/18	0.063		
			437	0.101		
			446/1	0.140		
			446/2	0.142		
			446/3	0.145		
			446/4	0.028		
			446/5	0.029		
			446/6	0.029		
			446/7	0.028		
			446/8	0.028		
			360/145, 360/111	0.405		
			360/112	0.202		
			298/2	0.138		
			298/3	0.060		
			443/1	0.101		
			360/169	0.182		
			305/1	0.125		
			360/164	0.202		
			289/1	0.089		
			302/6	0.073		
			431/2	0.141		
			431/4	0.175		
			356	1.215		
			296/7	0.101		
			447/1	0.202		
			440	0.101		
			121/4	0.413		
			360/156	0.101		
			360/1	0.805		
			360/168	0.202		
			36/3	0.203		
			22/2	2.024		
			36/1	0.202		
			36/2	0.101		
			36/4	0.040		
			35/2	2.656		
			34/1	0.206		
			304/6	0.142		
			304/8	0.284		
			304/9	0.134		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			301/1	0.101		
			299/1	0.121		
			299/3	0.074		
			299/5	0.109		
			299/6	0.081		
			299/7	0.202		
			297/4	0.202		
			299/2	0.105		
			299/4	0.202		
		योग	**108**	**26.848**		

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./17/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	बरतोरी प. ह. नं. 13	167/7	0.208	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			166/1	0.364		
			167/1	0.237		
			167/3	0.037		
			167/4	0.267		
			149/10	0.243		
			6	0.174		
			148	1.194		
			139/2	0.171		
			139/4	0.034		
			142/2-3	0.129		
			140/2	0.134		
			141/2	0.097		
			142/1	1.587		
			126	0.073		
			167/5	0.175		
			167/6	0.168		
			122/6	0.048		
			122/7	0.044		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			129	0.174		
			122/4	0.194		
			168	0.174		
			139/5	0.17		
			139/6	0.037		
			171/3	0.04		
			136/2	0.081		
			140/1	0.133		
			136/1	0.182		
			120/2	0.121		
			122/5	0.049		
			58/1, 59/3	0.045		
			179/3	0.081		
			122/2	0.194		
			120/1	0.121		
			139/1	0.223		
			139/7	0.069		
			127/2	0.057		
			122/1	0.19		
			166/3	0.052		
			166/2	0.061		
			141/1	0.117		
			167/2	0.209		
			167/8	0.33		
			130/3	0.299		
		योग	**44**	**8.787**		

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./18/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	तिल्दा प. ह. नं. 08	732/1	0.02	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			733/1	0.025		
			739	0.113		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			740	0.077		
			741	0.015		
			780	0.302		
			736/1	0.077		
			737/1	0.02		
			737/3	0.109		
			737/2	0.061		
			738	0.154		
			742	0.101		
			779	0.150		
			781	0.302		
			785/2	0.073		
			783	0.04		
			784	0.150		
			785/1	0.073		
			681	0.032		
			691	0.025		
			682/1	0.040		
			705/2	0.182		
			786/1	0.207		
			682/2	0.04		
			683/1	0.121		
			683/2	0.121		
			690/2	0.012		
			690/1	0.150		
			692/2	0.101		
			693	0.133		
			689	0.040		
			704	0.072		
			709	0.048		
			710/2	0.202		
			707	0.222		
			705/1	0.174		
			708	0.113		
			710/1	0.101		
			711/1	0.134		
			711/3	0.028		
			717/2	0.101		
			730/29	0.121		
			717/1	0.202		
			724/1	0.198		
			730/9	0.20		
			730/3	0.113		
			730/4	0.040		
			730/7	0.222		
			730/8	0.202		
			730/10	0.154		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			730/11	0.222		
			730/36	0.202		
			730/31	0.101		
			730/30	0.150		
			730/35	0.210		
			730/37	0.202		
			730/39	0.202		
			678	0.101		
			680	0.150		
			706	0.202		
			710/1	0.202		
			711/2	0.121		
			730/19	0.101		
			730/31	0.202		
			730/37	0.304		
		योग	57	7.450		

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./19/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	गैतरा प. ह. नं. 11	129	0.214	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			381	0.004		
			375/4	0.061		
			375/5	0.465		
			376/2	0.121		
			375/1	0.348		
			375/2	0.809		
			375/3	0.304		
			376/1	0.243		
			183/3	0.202		
			375/14	0.921		
			375/15	0.304		
			376/5	0.121		
			376/6	0.243		
			183/4	0.263		
			92/1	0.109		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			95/1	0.197		
			102/1	0.344		
			92/2	0.032		
			132	0.032		
			130/2	0.226		
			130/1	0.558		
			128/1	0.773		
			53/1, 3, 4	0.052		
			104/1	0.118		
			52/1	0.350		
			103/2, 104/2, 105/1, 123/2	0.040		
			375/8	0.688		
			375/9	0.405		
			375/16	0.304		
			376/7	0.121		
			376/8	0.195		
		योग	**29**	**9.167**		

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./20/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	कोनारी प. ह. नं. 11	70/4-5-6-7-16	0.486	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			76/1	0.507		
			77/1	0.744		
			411/2	0.113		
			412/1	0.101		
			412/2	0.024		
			412/3	0.255		
			76/2	0.508		
			77/2	0.405		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			78/1	0.096		
			78/2	0.060		
			78/4	0.060		
			89/4	0.281		
			78/3	0.065		
			78/5	0.072		
			89/1	0.282		
			81/1	0.060		
			411/1	0.324		
			412/4	0.182		
			395/1	0.247		
			89/2	0.080		
			461/1, 3, 395/1	0.465		
			योग 22	**5.417**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्रमांक/4075/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-बोरिया, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1273	0.06
1280	0.14
1276	0.07
1291	0.09
1287	0.03
1299/2	0.40
1301	0.27
1298/2	0.20
1304	0.58
1245	0.01
1250	0.12
1274	0.17
1281	0.03
1277	0.07
1286	0.07
1288	0.04
1302	0.10
1303	0.47
1309	0.34
1252	0.04
1248	0.04
1278	0.46
1275	0.11
1282	0.24
1289	0.03

(1)	(2)
1292	0.06
1300	0.24
1298/1	0.30
1310	0.18
1008	0.38
1251	0.07
1279	0.27
1284	0.13
1285	0.11
1290	0.05
1283	0.05
1306	0.20
1305	0.54
1341	0.18
1009	0.15
1249	0.09
योग	7.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तरकोरी, बोरिया जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रुति सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्रमांक 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कोटखर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
314/1	1.00
योग	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटखर्रा बगड़ी मार्ग पर तिपान नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 अप्रैल 2012

रा.प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, पहनं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27/1	0.081
योग 1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहगांव जलाशय के नहर नाली निर्माण में अर्जन (पूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्रमांक/93/भू.अ./अ.वि.अ./48 अ./82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केन्द्री, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.710 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88/3	0.010
84/4	0.060
84/8	0.030
85/2	0.040
86/1	0.070
86/2	0.040
102/2	0.110
102/3	0.040
102/7	0.060
102/8	0.080
102/10	0.040
102/12	0.040
102/26	0.080
102/29	0.050
102/30	0.040
588/3, 592/3	0.421
592/1	0.250
592/8	0.080
592/10	0.090
592/11	0.010
593/3	0.120
593/4	0.080
593/7	0.100
594/1	0.450
595/2	0.240
595/3	0.050
595/4	0.340
595/6	0.170
595/7	0.290
600/3	0.020
601/2	0.099
602/1	0.060
603/1	0.040
604/1, 604/2	0.010
योग 34	3.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर अंतर्गत रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 मई 2012

क्रमांक 9398.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बाड़ादरहा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.622 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231	0.016
240	0.130
257/4	0.036
502	0.024
503/1	0.077
507/1, 508/1	0.487
507/2	0.040
549/3	0.012
550/3	0.014
550/7	0.019
550/22	0.081
550/23	0.040
670/7	0.045
585/1	0.260
620/9	0.012
664/4	0.045
664/5	0.045
682/13क	0.061
682/13ग	0.023
686/4	0.024
690	0.187
696	0.259
700/2, 700/3	0.073
700/7	0.045
700/11, 700/12क	0.020
700/13क	0.004
710/1	0.036
710/2	0.024
710/3	0.045
710/4	0.089
640/3	0.097
640/4	0.097
676	0.024
728/1	0.024
728/2	0.028
729/2	0.036
735/2	0.016
748/5	0.032
774/1	0.178
774/3	0.182
780/8	0.036
780/11	0.024
780/14	0.032
780/16	0.032
780/19	0.028
780/20	0.032
780/21	0.032
811/8	0.810
827/20	0.049
829/5	0.020
830/1च	0.024
830/2च	0.045
831/3	0.058
831/8	0.040
831/9	0.058
831/10	0.036
850/1	0.032
850/6	0.053
850/8	0.036
850/13	0.032
850/15	0.049
[illegible]	[illegible]

(1)	(2)
855	0.040
योग	4.622

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में उपलब्ध है शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 मई 2012

क्रमांक 9401.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-टुण्ड्री, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.961 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
92/1	0.036
92/2	0.040
160/1	0.093
174/1	0.445
174/2	0.239
174/3	0.202
175/1	0.627
175/2	0.061
175/3	0.012
175/4	0.061
176/1	0.336
176/3	0.336
181/3	0.312
193/2	0.235
207/2	0.032
208/1	0.198
208/2	0.101
208/3	0.299
213/1	0.105
213/2	0.073
214	0.058
215/1	0.061
215/2	0.061
215/3	0.061
215/4	0.032
215/5	0.065
215/6	0.028
219/1	0.069
219/2	0.045
406/1	0.202
406/2	0.202
406/3	0.194
406/5	0.202
407/2	0.162
416	0.417
417/2	0.207
439/1	0.012
439/2	0.008
439/3	0.004
440/5	0.028
योग	5.961

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में उपलब्ध है शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.